भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2425

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

शेल कंपनियों के विरुद्ध अभियान

2425. श्री इमरान मसूदः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अप्रैल और जून 2026 के बीच शेल कंपनियों, फ़र्ज़ी निदेशकों और संदिग्ध कारपोरेट लेन-देन के विरुद्ध चलाए गए अभियानों की समीक्षा की है;
(ख) यदि हाँ, तो इस दौरान चिह्नित की गई कंपनियों, रद्द की गई निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) और शुरू की गई जाँच-पड़ताल का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने एआई-आधारित जोखिम विश्लेषण प्रणाली के माध्यम से संदिग्ध कंपनियों को चिह्नित करने के लिए कोई प्रणाली विकसित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इस संबंध में अन्य प्रवर्तन अभिकरणों के साथ जानकारी साझा करने का कोई समन्वित तंत्र स्थापित किया गया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): 'शेल कंपनी' शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। अप्रैल से जून, 2026 की अवधि के दौरान ऐसा कोई विशिष्ट समीक्षा नहीं की गई है।

(ग): वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कोई जोखिम विश्लेषण प्रणाली उपयोग में नहीं है। तथापि, एमसीए-21 के तहत अनुपालन की निगरानी के लिए एक जोखिम प्रोफाइलिंग एवं नियम-आधारित विश्लेषणात्मक प्रणाली विकसित की गई है। मंत्रालय, मामले के तथ्यों के आधार पर उपयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए, शून्य/नगण्य कारोबार, शून्य/नगण्य परिसंपत्तियाँ, कंपनियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का अनुरक्षण न किया जाना आदि जैसे रेड-फ्लैग संकेतकों का उपयोग करता है।

(घ) एवं (ङ): मंत्रालय के पास विभिन्न कानून प्रवर्तन अभिकरणों के साथ स्वचालित एपीआई एकीकरण के माध्यम से आँकड़ा साझाकरण की व्यवस्थाएँ हैं तथा समय-समय पर कंपनियों,

एलएलपी तथा उनसे संबद्ध व्यक्तियों से संबंधित आँकड़ों को प्रश्न-आधारित तरीके से साझाकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को वित्तीय आसूचना इकाई, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों तथा राज्य स्तरीय समन्वय समितियों से संदिग्ध/संभावित रूप से कपटपूर्ण संव्यवहारों में संलिप्त होने का आरोपित/प्रेक्षित कंपनियों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए इनपुट के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अपने-अपने संविधियों के तहत आगे उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग तथा जीएसटी प्राधिकरणों जैसे अन्य कानून प्रवर्तन अभिकरणों के साथ भी प्रासंगिक सूचना साझा करता है।
